


19/02/21

पत्रावली पेश हुई व कुलाय पक्षकार इपस्थित
अधिवक्ता निवासी कार द्वारा पत्रावली
में 'No objection' करने हुए करी
कामवाही नहीं चाहते हैं, इपस्थित किसी
अधिवक्ता द्वारा उक्त मीरि पर निर्दिष्ट
फरमानों का निर्वहन किया गया पत्रावली
में निवासी कार के 'No objection' किए
जाने से उक्त अधिवक्ता को पत्रावली
की जा रही है। पत्रावली के जल
द्वारा ही कर वसूल से काम ली।

No objection
Lakshya
2




जिला कलेक्टर
प्रयाग (राज.)